2018 के दर परिपत्र सं.20 का शुद्धिपत्र सं.4

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.टीसी-I/2014/302/2 नई दिल्ली, दिनांक 23.03.2020

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

विषय: खाली कंटेनरों और खाली फ्लैट वैगनों के संचलन के लिए कोई ढुलाई प्रभार वसूल न करना।

संदर्भ: (i) 2018 का दर परिपत्र सं.20 और दिनांक 14.11.2018 का शुद्धिपत्र।
(ii) 2018 का दर परिपत्र सं.20 का शुद्धिपत्र सं.2 व 3.
(iii) ई-ऑफिस सं.3316118 दिनांक 23.03.2020

कृपया 2018 के दर परिपत्र सं.20 के शुद्धिपत्र सं.2 का अवलोकन करें, जिसके तहत खाली कंटेनरों के संचलन के लिए मौजूदा 'प्रति टीईयू ढुलाई दर' पर 25% छूट प्रदान करने और इसी प्रकार खाली फ्लैट वैगनों के संचलन के लिए मौजूदा 'प्रति टीईयू ढुलाई दर' पर 25% छूट प्रदान करने का विनिश्चय किया गया था। शुद्धिपत्र सं.3 के अनुसार ये अनुदेश 31.03.20230 तक वैध थे। दिनांक 23.03.2020 के ई-ऑफिस सं.3316118 के तहत इन अनुदेशों की वैधता 30.04.2020 तक बढ़ा दी गई है।

उक्त अनुदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि **24.03.2020 से 30.04.2020 तक** खाली कंटेनरों के संचलन के लिए **कोई ढुलाई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा और इसी प्रकार** खाली फ्लैट वैगनों के संचलन के लिए **कोई ढुलाई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।**

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

ह.

(शिल्पी बिश्नोई)
निदेशक यातायात वाणिज्य (दर)
रेलवे बोर्ड

Scanned by CamScanner